संख्याः 578 / 35–1–2008

प्रेषक,

वी0 वेंकटाचलम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रेष्य,

अधिशासी निदेशक,
(कारपोरेट अफेयर्स)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,
भारत भवन, 4 एण्ड 6, करीम भाई रोड,
बेलाड इस्टेट, पो0बा0संख्या–688
मुम्बई –400001

नियोजन अनुभाग–1

लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2008

विषयः भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड(बी0पी0सी0एल0)तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा उ0प्र0 में "बायो डीजल वैल्यू चेन की स्थापना।"

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा "बायो डीजल वैल्यू चेन" स्थापित किये जाने हेतु निम्नांकित व्यवस्था अपनाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– बी0पी0सी0एल0 तथा उसकी कम्पनियों द्वारा प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में लगभग रू0 2132 करोड़ का सकल निवेश करते हुए बायो डीजल वैल्यू चैन की स्थापना की जायेगी।

2– प्रदेश में 10 लाख एकड़ भूमि पर जेट्रोफा तथा करंज रोपण का कार्य इन कम्पनियों की देखरेख में किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना तथा अन्य योजनाओं के अधीन ग्राम पंचायतों को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3. प्रथम चरण में परियोजना प्रदेश के उन जनपदों में संचालित की जायेगी जहॉ ऊसर, परती, बंजर एवं कृषि हेतु अनुपयोगी भूमि बहुतायत में है। चयनित

जनपदों की सूची पृथक से जारी की जायेगी।

4. ग्राम पंचायतों के अधीन ऊसर, परती, बंजर, बीहड़, पठारी तथा कृषि हेतु अनुपयोगी भूमि पर उपलब्धता के आधार पर जेट्रोफा तथा करंज रोपण का कार्य किया जायेगा। पंचायत की भूमि पर जेट्रोफा का प्लांटेशन ग्राम वासियों द्वारा किया जायेगा, जिस पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना से इस योजना में अनुमन्य श्रम तथा सामग्री के लागत की सीमा तक वहन किया जा सकेगा।

5. ग्राम सभा/पंचायतों की भूमि के प्रयोग हेतु बी0पी0सी0एल0 की सहयोगी कम्पनी तथा पंचायतों के बीच संलग्नक में दिये गये प्रारूप पर अनुबंध किया जायेगा।

6. जेट्रोफा की फसल तैयार होने पर कम्पनी सीधे पंचायत से क्रय कर सकेगी।

7. जेट्रोफा के बीज के मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। उत्पाद का न्यूनतम् मूल्य संबंधित वर्ष में बायोडीजल के घोषित मूल्य का 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा। वर्तमान में बीज का मूल्य रू0 6/– प्रति किलोग्राम है। जेट्रोफा/करंज बीज विक्रय से प्राप्त आय का वितरण ग्राम पंचायतों तथा ज्वाइंट वेंचर कम्पनी के बीच बराबर–बराबर (50:50 अनुपात) किया जायेगा। प्लान्टेशन से प्राप्त होने वाले कार्बन केडिट का लाभ पंचायत को ज्वाइंट वेचर कम्पनी द्वारा समानुपातिक रूप से शेयर किया जायेगा। बीज का मूल्य निर्धारण कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर किया जायेगा।

8. योजना में कम्पनियों को नान एक्सक्लूसिव एप्रोच के साथ कार्य किया जायेगा ताकि प्रदेश में बायोडीजल सेक्टर के विकास हेतु एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजित हो सके।

9. प्रश्नगत योजना में ग्राम्य विकास, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, पंचायतीराज विभाग तथा राजस्व विभाग आदि का सहयोग एवं प्रभावी कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

10. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा उनकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा बायोडीजल वैल्यू चेन की स्थापना हेतु प्रशिक्षण से लेकर बिक्री तक के सभी कार्यों को संचालित किया जायेगा।

11. प्रथम चरण में इस योजना के अन्तर्गत दस लाख एकड़ भूमि पर जेट्रोफा/करंज का प्लांटेशन किया जायेगा तथा ज्वांइट वेंचर कम्पनी द्वारा बीज क्रय केन्द्र खोले जायेगें। बीज से तेल निकालने हेतु दो सौ इकाईया तथा तेल से बायोडीजल बनाने हेतु 10 इकाईया भी ज्वांइट वेंचर कम्पनी द्वारा स्थापित की जायेगीं।

12. इस परियोजना से लगभग 8 लाख लोगों को पूर्ण स्वरोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है तथा पंचायतों को भी अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी लाभ प्राप्त होगा। ग्राम पंचायते इण्टरक्रापिंग के माध्यम से अन्य खेती यथा औषधि, सुगन्ध पौधे इत्यादि की कृषि भी कर सकेंगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार परियोजना का प्रदेश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी0 वेंकटाचलम)
प्रमुख सचिव, नियोजन।

संख्याः 578/35-1-2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्यसचिव महोदय के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

8. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. राज्य योजना आयोग–1 एवं 2.
14. राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0 के समस्त प्रभागाध्यक्ष।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0 वेंकटाचलम)
प्रमुख सचिव।

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध वर्ष 2008 के माह ——— की तिथि———को मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित ज्वांइट वेंचर कम्पनी " ————————————" जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत् पंजीकृत एक कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय ————————————है(जिसको एतद्पश्चात् 'प्रथम पक्ष' कहा गया है) द्वाराश्री———— ————————————उक्त कम्पनी, प्रथम पक्ष और ग्राम पंचायत———————— विकास खण्ड ————जनपद ————————जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय है (जिसको एतद्पश्चात 'द्वितीय पक्ष' कहा गया है द्वारा श्री ————————————उक्त ग्राम पंचायत द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

यह कि उत्तर प्रदेश बायो डीजल वैल्यू चेन के अन्तर्गत बायो फ्यूल विकास कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में पंचायतों की सहभागिता से पी–4 (पब्लिक–प्राइवेट, पंचायत–पार्टनरशिप) सिद्धान्त पर आधारित ग्रामीण व्यापार केन्द्र की सोच के अनुरूप स्थायी आर्थिक विकास प्राप्त करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की क्षमता विकसित कर बेहतर उत्पादकता और गुणवत्ता के लिये उन्नत कृषि उपायों को कार्यान्वित कर पंचायतों को उनके उत्पादों का उचित एवं बढ़ी हुई दर से लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एवं परती, अकृष्य भूमि का सदुपयोग/उत्पादकता बढ़ाने तथा ऊर्जा के स्त्रोतों का राष्ट्रीय हित में दोहन करने हेतु उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तो एवं प्रसंविदाओं के अधीन सहमत हुए है।

अतः यह अनुबन्ध अब निम्न का साक्षी है:–

(I) प्रथम पक्ष का दायित्वः–

प्रथम पक्ष का दायित्व निम्न होगाः–

1. राज्य में प्रस्तावित " उ0 प्र0 बायो डीजल वैल्यू चेन" की स्थापना, उसके विकास तथा उसके स्थायित्व हेतु बायो फ्यूल फसल पौध रोपण एवं उससे उत्पन्न बीज के विपणन इत्यादि के लिये आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।
2. कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी संज्ञान, उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री, आवश्यक इनपुट्स जैसे खाद एवं माइक्रोन्यूट्रियेन्ट (उदाहरणार्थ माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा) इत्यादि की आपूर्ति एवं विस्तार सहायता उपलब्ध कराना।
3. बीज क्रय केन्द्रों की स्थापना करना।
4. शासन द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर बायोडीजल बीजों का क्रय करना एवं उसका तत्काल भुगतान सुनिश्चित करना।
5. कार्बन क्रेडिट से प्राप्त होने वाले लाभ को समानुपातिक तरीके से पंचायत को हस्तान्तरित करना।

(II) द्वितीय पक्ष का दायित्वः–

द्वितीयपक्ष का दायित्व निम्न होगाः–

1. भूमि प्रबन्ध समिति की बैठक कर बायोफ्यूल फसलों के उत्पादन हेतु प्रस्ताव पारित कर ग्राम सभा की भूमि मय खसरा नं0————रकबा————एवं स्थिति————, जो परती एवं अकृष्य हो, को चिन्हित करना तथा बायोफ्यूल फसल रोपण हेतु आरक्षित करना।
2. बायो फ्यूल फसल से प्राप्त बीज को क्रय केन्द्र तक पहुंचाने की व्यवस्था अपने व्यय पर करना।
3. उत्पाद विक्रय से प्राप्त लाभांश को ग्राम निधि में जमा करना तथा उसका लेखा प्रबन्धन सुचारू रूप से करना।
4. यदि बाजार मांग के अनुसार किसी अन्य फसल की अन्तः कृषि की जाती है तो इस हेतु भी भूमि प्रबन्ध समिति की सहमति प्राप्त करना। अन्तः कृषि उत्पादों की बिक्री से प्राप्त लाभांश भी ग्राम निधि में जमा करना तथा उसका लेखा प्रबन्धन सुचारू रूप से करना।
5. कार्बन क्रेडिट से प्राप्त होने वाले राजस्व को ग्राम निधि में जमा करना तथा उसका लेखा प्रबन्धन सुचारू रूप से करना।

(III) उभय पक्ष का दायित्व :–

दोनो पक्ष निम्नानुसार सहमत है:–

1. **अनुबन्ध की अवधिः–**

अनुबन्ध की अवधि 15 वर्ष होगी दोनों पक्षो की सहमति से इस अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तो के अधीन 15–15 वर्ष हेतु दो बार बढ़ाया जा सकता है लेकिन कुल अवधि 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

2. **उत्पाद का मूल्य निर्धारणः–**

बायोफ्यूल फसलों से उत्पादित बीज का मूल्य निर्धारण उस वर्ष घोषित न्यूनतम् समर्थन मूल्य के आधार पर किया जायेगा। बीज का न्यूनतम् समर्थन मूल्य उस वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित बायोडीजल मूल्य के आधार पर किया जायेगा। यह मूल्य किसी भी हालत में बायोडीजल के घोषित मूल्य के सापेक्ष्य 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा। वर्तमान में यह मूल्य रू0 6.00 प्रति किलोग्राम है। इसमें कार्बन क्रेडिट से प्राप्त होने वाले लाभांश को भी समानुपातिक तरीके से सम्मिलित किया गया है। "बीज का न्यूनतम् समर्थन मूल्य" का निर्धारण कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

3. फालोअप एवं मॉनिटरिंगः–

कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जायेगी। इस बैठक में भूमि प्रबन्ध समिति के नियमित सदस्यों के अलावा प्रथम पक्ष को भी सम्मिलित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार यह बैठक कार्यक्रम की उपयोगिता एवं महत्व को देखते हुए कभी भी बुलाई जा सकती है।

4. सुलह व्यवस्था(आर्बिट्रेशन):–

दोनों पक्षो में किसी भी विवाद की स्थिति पैदा होने पर इसका निस्तारण आर्बिट्रेशन एवं कन्सलिएशन अधिनियम, 1996 द्वारा अनुमन्य प्रकिया के अन्तर्गत ही किया जायेगा। वर्तमान प्रकरण में इस व्यवस्था हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुलह व्यवस्था की प्रकिया प्रस्तावित की गयी है।

उपरोक्त के साक्ष्य में दोनों पक्षो ने ऊपर अंकित तिथि को निम्नलिखित गवाहों के समक्ष यह अनुबन्ध निष्पादित कर दिया है।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
(चीफ मैनेजिंग डाइरेक्टर/ मैनेजिंग डाइरेक्टर)	(ग्राम पंचायत/पंचायतों के प्रधान)
कम्पनी की ओर से गवाह–	गवाह–
1–हस्ताक्षर नाम स्थायी पता (स्थायी पता के सम्बन्ध में प्रमाण की प्रति)	1–हस्ताक्षर (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) नाम
2–हस्ताक्षर नाम स्थायी पता (स्थायी पता के सम्बन्ध में प्रमाण की प्रति)	2–हस्ताक्षर (अध्यक्ष/ग्राम विकास अधिकारी) नाम